

कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून।

(दूरभाष संख्या-0135-2972421, फ़ैक्स-0135-2972425, ई मेल-dir.agri.Uttarakhand@gmail.com)

पत्रांक-कृ.नि./4312/SMAM/पंजी.-कृषि यंत्र/2026-27

दिनांक- 01 अक्टूबर, 2026

1. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड।

विषय- कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु पंजीकृत फर्म तथा माडल विषयक।

उपरोक्त विषयक कृषि निदेशालय के पत्र संख्या-कृ.नि./3728/एस.एम.ए.एम./पंजी-कृषि यंत्र/2026-27, दिनांक 08 सितम्बर, 2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्त नियम 2017, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराने हेतु कृषि मशीनों तथा यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माता फर्मों से प्राप्त पंजीकृत प्रपत्रों का गठित पंजीकरण समिति द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त विभिन्न कृषि यंत्रों/उपकरणों की विनिर्माता फर्मों के मेक/माडलों को सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया था, जिसमें आंशिक संशोधन कर पुनः सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु चिन्हित किए गए यंत्रों/उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र. सं.	फर्म का नाम	सूचीबद्ध/पंजीकरण होने वाले कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों का विवरण
1.	URMI TECH polymer Pvt Ltd, shivganga industrial area, Bhagwanpur, haridwar	HDPE Pipe
2.	Aasita Industries, H-4, Industrial Area, Govindpura, Bhopal	HDPE Pipe/Sprinkler Set (mini, micro, portable, drip)
3.	Kothari Agritech Pvt. Ltd., 8516/11, Level 3, Sun Plaze Subhash Chowk, Salapur, Maharastra	HDPE Pipe/ Sprinkler Set (mini, micro, portable, drip)
4.	Dinesh Irrigation Pvt. Ltd, Jootwara Ind. Area Jaipur Rajsthan	HDPE Pipe/ Sprinkler Set (mini, micro, portable, drip)
5.	Mittal Plastics, Bareilly road, Lalkuan, Nainital	HDPE Pipe
6.	Vardhman Machinery Corporation, Near Gail India Limited Chatarpur, Dharpur Matkota Rudrapur USNagar	HDPE Pipe
7.	ARV Crops LLP, Shop No-1 Shyam Market, Aggersain Market, Hisaar, Hariyana	Sprayer
8.	Super Power Agro India, Baraut Baghpat UP	Sprayer
9.	Shakti Agro Industries, Arjun Nagar, Radha Swami Road, Ludhiana PB	Sprayer
10.	Ramsons Impex, IP-17, Raipur Sahkari Udyogic Kshetra, Bhagwanpur, Rookee	Sprayer/Water Lifting Pump
11.	Sun Agro, C/o Adarsh Sevice Station, Indian Oil Dealer, GE Road, Supela Bhilai, Chattisgarh	Sprayer
12.	Ratnagiri Impex Pvt. Ltd. Bangalore	Sprayer
13.	Kisan kraft Limited, No-4, 1st Main, 7-A Coss, Maruthi Layout, Dasarahalli, Banglore	Sprayer
14.	NETAFIM, 1st Floor, Building No -C-1, Saudamini Complex, Bhusari Colony Paud Road, Maharastra	Sprinkler Set (mini, micro, portable, drip)
15.	Bharat Drip Irrigation & Agro, RIICO Industrial Area, Bindayaka, Jaipur, Rajasthan	Sprinkler Set (mini, micro, portable, drip)

सलग्न सूची के अनुसार कृषक द्वारा सूचीबद्ध/पंजीकृत विनिर्माता फर्म/फर्मों के अधिकृत डीलर से सलग्न सूची में अंकित माडल को क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा। अनुदान देते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए।

2. कृषकों को कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान Submission on Agricultural Mechanization (SMAM) की गाईडलाइन के अनुसार होगा। पैरा 6.4.2 अथवा संबंधित योजना की गाईडलाइन में इंगित व्यवस्था के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, साथ ही यह ध्यान रखा जायेगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा लघु सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता मिले।
3. कृषि यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अनुमन्य अधिप्राप्त सीमा तक ही देय होगा।
4. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म को बिल स्वयं अथवा विनिर्माता की संस्तुति पर नियमानुसार अधिकृत विक्रेता भी बिल जारी कर सकेगा बिल/कैश मैमो पर पूर्ण स्पेसिफिकेशन के साथ कृषि यंत्र का माडल/ब्राण्ड/गारंटी/क्रम संख्या/चेचिस संख्या, वारंटी अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करेगा।
5. अनुदान कृषक/मूल विनिर्माता द्वारा अधिकृत विक्रेता से कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्रों /उपकरणों के सूचीबद्ध माडल/मेक पर ही देय होगा। फर्म/अधिकृत विक्रेता नियमानुसार टैक्स का अंकन करते हुए टैक्स जमा करना होगा।
6. निदेशालय स्तर पर सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म/माडल/मेक agrimachinery.nic.in पर अपलोड करनी होगी, जो कम से कम एक वर्ष तक नहीं बदली जा सकेगी।
7. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों की वर्तमान दरें भारत सरकार की Agrimachinery.nic.in पर DBT Agriculture Machinazation पर अंकित करनी होगी, जो एक वर्ष तक बदली नहीं जा सकेगी।
8. कृषक द्वारा ऑनलाईन डी.बी.टी. पोर्टल पर डीलर से क्रय किए गए यंत्रों के बिल को डीलर पोर्टल पर अपलोड करेगा।
9. जनपद के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा गठित सत्यापन टीम द्वारा भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कर लिये जाने के उपरान्त Submission on Agricultural Mechanization (SMAM) की गाईडलाइन एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की अधिकतम सीमा के अनुसार कार्यवाही करें।
10. सत्यापन के दौरान कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्र/उपकरण विभाग द्वारा सूचीबद्ध/ पंजीकृत किए गए कृषि यंत्रों/उपकरणों के अनुसार ही हो।
11. कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे कृषि यंत्रों/उपकरणों के मूल्य पोर्टल पर दर्शायी दरों से अधिक न हो, यदि दरें अधिक पायी जाती हैं तो संबंधित जनपद के मुख्य कृषि अधिकारी कार्यवाही करेंगे। कृषक जब मेक/माडल, गुणवत्ता एवं मोल भाव कर दर से पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के बाद कृषि यंत्रों/उपकरणों को क्रय करें।
12. मुख्य कृषि अधिकारी/कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अनुदानित यंत्रों की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

क्र.स.	यंत्र का नाम/मेक एवं माडल	यंत्र आपूर्ति कहां से हुई/डीलर का नाम	संख्या	कुल कीमत	कुल वितरित अनुदान
1	2	3	4	5	6

13. फर्म को अपने फर्म का सर्विस सेंटर खोलना होगा। फर्म द्वारा अपने ग्राहकों को Maintenance का प्रशिक्षण देना होगा।
14. विभागीय उच्चाधिकारियों द्वारा कृषक को आपूर्तित कृषि यंत्रों/उपकरणों का निरीक्षण करने पर कृषि यंत्रों/उपकरणों को निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप न पाए जाने पर संबंधित विनिर्माता फर्म का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसी फर्म/अधिकृत विक्रेता को विभाग द्वारा काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है।
15. सूचीबद्ध/पंजीकृत विनिर्माता फर्म/अधिकृत विक्रेता को कृषक द्वारा क्रयित कृषि यंत्रों /उपकरणों पर अनुदानित वर्ष एवं विभाग का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा।
16. विनिर्माता सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता को समय-समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित को पंजीकरण सूची से विलोपित किया जा सकता है।

17. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त शर्तों/नियमों एवं इससे संबंधित प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधित/परिवर्तन किया जा सकेगा।
18. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म के अधिकृत विक्रेता द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में संबंधित फर्म का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
19. प्रदायकों को मुख्य कृषि अधिकारी के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार कृषक/कृषकों को जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु प्रदायकों को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। प्रदायक द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास जी0एस0टी0 पंजीकरण तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। प्रदायकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गयी सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्ज तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करावें। लाभार्थियों को इसके लिये प्राप्त अनुरोध पत्र से 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
20. फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों पर लेबलिंग प्लेट को Riveted किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्माता का नाम एवं पता मेक/मॉडल सीरियल नम्बर निर्माण का माह एवं वर्ष, टाईप, साईज, किस देश में निर्मित किया गया है लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे स्पेसिफिकेशन में मार्किंग/लेबलिंग हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए।

संलग्न –यथोपरि।


(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृ.नि./ /SMAM/पंजी.-कृषि यंत्र/2026-27/दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित मूल विनिर्माता फर्म को विभागीय बेवसाईट के माध्यम से।
4. अध्यक्ष, जिला यंत्रीकरण समिति।
5. विभागीय पोर्टल।


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

16. विनिर्माता सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म/अधिकृत विक्रेता को समय-समय पर विभाग द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर संबंधित को पंजीकरण सूची से विलोपित किया जा सकता है।
17. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त शर्तों/नियमों एवं इससे संबंधित प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधित/परिवर्तन किया जा सकेगा।
18. सूचीबद्ध/पंजीकृत फर्म के अधिकृत विक्रेता द्वारा विभाग को उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने की दशा में संबंधित फर्म का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
19. प्रदायकों को मुख्य कृषि अधिकारी के आदेश एवं दिशा निर्देश के अनुसार कृषक/कृषकों को जनपद/विकासखण्ड स्तर/न्याय पंचायत तक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु प्रदायकों को जिला स्तर पर अपना नेटवर्क स्थापित करना होगा। प्रदायक द्वारा जिले में नियुक्त अधिकृत विक्रेता के पास जी0एस0टी0 पंजीकरण तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा उपलब्ध करायी जानी आवश्यक होगी। प्रदायकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे उनके द्वारा विक्रय की गयी सामग्री के लिये उचित मूल्य पर पुर्जें तथा विक्रय उपरान्त सेवा की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करावें। लाभार्थियों को इसके लिये प्राप्त अनुरोध पत्र से 15 दिनों के अन्दर यदि यह व्यवस्था नहीं की जाती है, तो यथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
20. फर्म द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों पर लेबलिंग प्लेट को Riveted किया जाना अनिवार्य होगा, जिस पर निर्माता का नाम एवं पता मेक/मॉडल सीरियल नम्बर निर्माण का माह एवं वर्ष, टाईप, साईज, किस देश में निर्मित किया गया है लिखा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराए जा रहे स्पेसिफिकेशन में मार्किंग/लेबलिंग हेतु दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए।

संलग्न –यथोपरि।

(दिनेश कुमार)
कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।

कृ.नि./ 4312 /SMAM/पंजी.-कृषि यंत्र/2026-27/दिनांकित।

प्रतिलिपि-: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
2. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. संबंधित मूल विनिर्माता फर्म को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
4. अध्यक्ष, जिला यंत्रीकरण समिति।
5. विभागीय पोर्टल।


कृषि निदेशक
उत्तराखण्ड।